

SCMS  
2020/00069  
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. मा.पाराम

हलका बुक कवानीछिह

पुत्र श्री. प.रा.रा.रा. जाति मां.रा.रा.रा.

निवासी बुक कवानीछिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 66 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका बुक कवानीछिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा बुक कवानीछिह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 800 वर्ग फीट किस्म भूमि 5/1 गु. 5/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु लोचपुर पंचारे हे पत्रावली दि. 18-1-2021 को पेश हो।	 मा.पाराम
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उपस्थित। गैरसायल ने जबाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	 मा.पाराम

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु सागल याद को दिखा जाकर पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

मदर

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीबलीन अधिकारी भाउ उभरी पर सिविल पथारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।  
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपालित। गैर सागल को जवाब हेतु साक्षी भवसर दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपालित। गैर सागल को जवाब हेतु बार-बार भवसर दिने जाने के उपरांत भी कोई विधि सम्मत साक्षी प्रस्तुत नहीं किने गैर सागल को भातिक्रमी मानने हुए पत्रावली फैलल सुगार है। निर्धार मलय के लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुगार होकर दाखिल इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर